

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
संख्या पी-1486/36-पी-23ए (वृक्षारोपण-2017-18.), लखनऊ:दिनांक: 23 जून, 2017.
सेवा में,

- 1-समस्त जोनल/मण्डलीय मुख्य वन संरक्षक,
(वन्य जीव सहित), उत्तर प्रदेश।
- 2-समस्त वन संरक्षक,
उत्तर प्रदेश।

विषय : वर्ष 2017-18 वृक्षारोपण लक्ष्यों का निर्धारण।


संदर्भ : शासनादेश संख्या-886/14-5-2017-114/2016, दिनांक 12-05-2017.

महोदय,

कृपया इस कार्यालय के पत्रांक जी-1342/36-पी-23ए (वृक्षा0 2017-18), दिनांक 15-05-2017 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके साथ वर्ष 2017-18 में 50000000 वृक्षों के रोपण का शासनादेश संलग्न किया गया था। पुनः शासनादेश संख्या-1343/14-5-2017-31/2014, दिनांक 23-06-2017 से उपरोक्त लक्ष्यों को संशोधित करते हुए 65458000 किया गया है।

अतः संशोधित शासनादेश इस आशय से संलग्नकर प्रेषित किया जा रहा है कि निर्धारित लक्ष्यों को शत-प्रतिशत प्राप्ति सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में तत्काल जनपद के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला वृक्षारोपण समिति की बैठक कराकर रणनीति तैयार करते हुए निर्धारित वृक्षारोपण लक्ष्यों की पूर्ति हेतु प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करें।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।


भवदीय

(ए0के0 द्विवेदी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक/
प्रभारी अपर प्रमुख वन संरक्षक,
योजना एवं कृषि वानिकी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्या पी-1486/36-पी-23ए, दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- अपर मुख्य सचिव, वन एवं वन्य जीव, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
- 2- प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 3- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव/मुख्य वन्य जीव अभिरक्षक, उ0प्र0, लखनऊ।
- 4- समस्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश।
- 5- समस्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश।
- 6- मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन, उ0प्र0, लखनऊ।
- 7- प्रभारी कमाण्ड सेन्टर, वन मुख्यालय, लखनऊ।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।


(ए0के0 द्विवेदी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक/
प्रभारी अपर प्रमुख वन संरक्षक,
योजना एवं कृषि वानिकी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रेषक,

राहुल भटनागर,

मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव,
आवास/औद्योगिक विकास/उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण /
ग्राम्य विकास/नगर विकास/लोक निर्माण/सिंचाई/रेशम विकास/
माध्यमिक शिक्षा/बेसिक शिक्षा/कृषि विभाग ।
2. समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, उत्तर प्रदेश।

वन एवं वन्यजीव अनुभाग-5

लखनऊ, दिनांक, 23 जून 2017

विषय:- वर्ष 2017-18 के वृक्षारोपण लक्ष्यों का निर्धारण ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-886/14-5-2017-114/2016, दिनांक 12.05.

2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश में वर्ष 2017-18 हेतु 05 करोड के वृक्षारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

2- वन महानिरीक्षक, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र संख्या- 4-1/2016-बी-1(एनएईबी), दिनांक 11.05. 2017 के द्वारा बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में 2017-18 हेतु वृक्षारोपण का लक्ष्य 654.58 लाख आवंटित किया गया है । भारत सरकार द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित लक्ष्य के दृष्टिगत पूर्व में उपरोक्त शासनादेश दिनांक 12-05-2017 द्वारा वर्ष 2017-18 हेतु निर्धारित 05 करोड के वृक्षारोपण का लक्ष्य को अतिक्रमित करते हुए अधोलिखित प्रस्तरो में उल्लिखित तथ्यों के अनुसार संशोधित लक्ष्य निर्धारित किया जा रहा है ।

3- अवगत है कि पर्यावरणीय संतुलन बनाये रखने के लिए यह आवश्यक है कि प्रदेश का अधिक से अधिक भू-भाग हरा-भरा हो । वनों एवं वृक्षों से निरन्तर लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि राष्ट्रीय वन नीति-1988 एवं राज्य वन नीति-1998 के अनुसार प्रदेश का एक तिहाई भू-भाग

वनाच्छादित व वृक्षाच्छादित हो। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2015 के अनुसार उ०प्र०के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का मात्र 6.00 प्रतिशत वनावरण तथा 2.92 प्रतिशत क्षेत्र वृक्षावरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 8.93 के मात्र प्रतिशत क्षेत्र (21,505 वर्ग कि०मी० भू भाग) में ही वनावरण एवं वृक्षाच्छादन है। अधिक से अधिक वृक्षारोपण कराये जाने के लक्ष्य की प्राप्ति एवं प्रदेश के वनावरण एवं वृक्षाच्छादन में वृद्धि हेतु अन्तर्विभागीय समन्वय के रूप में कार्य किया जाना होगा।

4 - शासनादेश संख्या-2005/14-5-2004-52/2003, दिनांक 10.11.2004 के द्वारा प्रदेश में वृक्षाच्छादन वृद्धि हेतु विभिन्न विभागों के योगदान से वनीकरण/वृक्षारोपण सम्बन्धी कार्यों के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में एक समन्वय समिति गठित है।

5- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2017 (वर्षाकाल माह जुलाई - सितम्बर) में वन एवं वन्यजीव विभाग द्वारा 430 लाख पौधों का रोपण एवं अन्य विभागों द्वारा 224.58 लाख पौध, कुल 654.58 लाख पौध रोपण का लक्ष्य निम्न प्रकार निर्धारित किया जाता है:-

क्रम सं०	विभाग का नाम	वर्ष 2017-18 हेतु प्रस्तावित लक्ष्य (पौध रोपण द्वारा)	
		हे० में	पौध संख्या में
1	2	3	4
1	वन विभाग	33988	43000000
	योग वन विभाग	33988	43000000
2	अन्य विभाग		
1	आवास विकास विभाग	545	600000
2	औद्योगिक विभाग	727	800000
3	उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग	545	600000
4	ग्राम्य विकास विभाग	7144	7858000
5	नगर विकास विभाग	455	500000
6	लोक निर्माण विभाग	455	500000
7	सिंचाई विभाग	727	800000
8	रेशम विकास	364	400000

क्रम सं०	विभाग का नाम	वर्ष 2017-18 हेतु प्रस्तावित लक्ष्य (पौध रोपण द्वारा)	
		हे० में	पौध संख्या में
1	2	3	4
9	माध्यमिक शिक्षा	682	750000
10	बेसिक शिक्षा	7409	8150000
11	कृषि विभाग	1364	1500000
	योग (अन्य विभाग)	20416	22458000
	कुल योग	54404	65458000

6- वृक्षारोपण के अन्तर्गत वन/आवास/औद्योगिक विकास/ उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण/ग्राम्य विकास/नगर विकास/लोक निर्माण/ सिंचाई/रेशम विकास/माध्यमिक शिक्षा/ बेसिक शिक्षा/ कृषि विभाग के लिए लक्ष्य परिशिष्ट-1 पर दर्शाए गए हैं। सम्बन्धित विभाग अपने विभागीय लक्ष्यों की प्राप्ति के अभिलेख का रख-रखाव परिशिष्ट-2 के अनुसार सुनिश्चित करेंगे तथा इस कार्य हेतु सम्बन्धित विभाग समय से आवश्यक धनराशि की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

7- वृक्षारोपण कार्यक्रम को जनोन्मुखी और अधिक प्रभावी बनाने के दृष्टिगत किसानों एवं आम नागरिकों को प्रेरित कर उनकी निजी भूमि पर वृक्षारोपण कराये जाने हेतु सभी विकास विभागों यथा आवास/औद्योगिक विकास/ उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण/ग्राम्य विकास/नगर विकास/लोक निर्माण/ सिंचाई/रेशम विकास/माध्यमिक शिक्षा/बेसिक शिक्षा/ कृषि विभाग का अपेक्षित सहयोग प्राप्त किया जाय। बच्चों में पौधों के प्रति प्रेम जागृत करने एवं वृक्षारोपण के महत्व को उजागर करने हेतु शिक्षा विभाग द्वारा स्कूली बच्चों को पौध रोपित करने हेतु प्रेरित किया जाय।

8- जिलाधिकारी जनपद के अन्य विभागों के लक्ष्य में अन्तर्विभागीय समायोजन कर सकते हैं, परन्तु जनपद का लक्ष्य परिवर्तित नहीं होगा।

9- बेसिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग को जनपद के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों की संख्या के अनुसार प्रति विद्यालय अधिकतम 40 पौध की दर से लक्ष्यों का आवंटन किया गया है।

10- कृषि विभाग को प्रदेश में गंगा नदी के किनारे स्थित 27 जनपदों में नदी के किनारे स्थित ग्रामों की संख्या के अनुपात में वृक्षारोपण लक्ष्य आवंटित किये गये हैं।

11- जिला वृक्षारोपण समिति -जनपद स्तर पर प्रत्येक जनपद में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला वृक्षारोपण समिति गठित है जिसके संयोजक प्रभागीय वनाधिकारी/प्रभागीय निदेशक,

सामाजिक वानिकी है तथा सभी कार्यदायी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी इसके सदस्य हैं वृक्षारोपण की सफलता सुनिश्चित किये जाने हेतु समिति का मुख्य दायित्व समन्वय, नियोजन एवं वृक्षारोपण की सफलता का नियमित अनुश्रवण करना होगा।

जिला वृक्षारोपण समिति जनपद में वृक्षारोपण कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार करेगी तथा जिले के आवंटित लक्ष्यों को शत-प्रतिशत प्राप्त करने हेतु समय से रणनीति तैयार कर वृक्षारोपण लक्ष्यों को प्राप्त करेगी।

जिला वृक्षारोपण समिति समस्त विभागों के निर्धारित वृक्षारोपण लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु समय-समय पर समीक्षा बैठक कर वृक्षारोपण से सम्बन्धित तैयारियों एवं प्रगति का अनुश्रवण करेगी। मण्डल स्तर पर मण्डलायुक्तों द्वारा भी वृक्षारोपण कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की जायेगी।

12- पौधों की उपलब्धता के लिए रणनीति - निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप वृक्षारोपण के लिए आवश्यक पौधों की पर्याप्त उपलब्धता हेतु जिला वृक्षारोपण समिति बैठक करके रणनीति तैयार करेगी। निजी पौधशालाओं से पौधों का क्रय तभी किया जायेगा जब प्रभागीय वनाधिकारी/प्रभागीय निदेशक द्वारा सम्बन्धित कार्यदायी विभाग को यह प्रमाण-पत्र उपलब्ध करा दिया गया हो कि उनके नियंत्राधीन विभागीय पौधशालाओं में पौध उपलब्ध नहीं है। निजी पौधशाला में उपलब्ध पौधों का सर्वेक्षण वन विभाग द्वारा किया जायेगा एवं प्रत्येक जनपद में उपलब्ध पौधों की पौधशालावार एवं प्रजातिवार सूचना संकलित करते हुए जिला वृक्षारोपण समिति को प्रस्तुत की जायेगी एवं जिला वृक्षारोपण समिति के माध्यम से उपलब्ध पौधों का विवरण अन्य कार्यदायी विभागों को उपलब्ध कराया जायेगा।

13- प्रजातियों का चयन प्रदेश के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में मृदा एवं एग्रोक्लाइमेटिक जोन के अनुसार रोपित किये जाने वाली उपयुक्त वृक्ष प्रजातियों का विवरण परिशिष्ट-3 पर रखा गया है। रोपित की जाने वाली प्रजातियों के सम्बन्ध में यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि यथासंभव स्थानीय प्रजातियों (indigenous species) के रोपण को प्राथमिकता दी जाय। परिशिष्ट-3 में उल्लिखित प्रजातियों के अतिरिक्त भी यदि मृदा/जलवायु अन्य प्रजातियों के लिए उपयुक्त हों तो उनका भी रोपण किया जा सकता है।

14- वित्तीय संसाधन की व्यवस्था -

(क). भूमि उपयोग करने वाले सम्बन्धित विभाग यथा- आवास/औद्योगिक विकास/ उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण/ग्राम्य विकास/नगर विकास/लोक निर्माण/ सिंचाई/रेशम विकास/माध्यमिक शिक्षा/बेसिक शिक्षा/कृषि विभाग अपने विभागीय बजट से खाली पड़ी सरकारी भूमि पर वृक्षारोपण कार्य करायेंगे। इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक 2664/14-5-2015-123/2015 दिनांक 20-10-2015 द्वारा विभिन्न विभागों को दिशानिर्देश निर्गत किये गये हैं।

जिसमें उनके आयोजनागत बजट से 0.5 प्रतिशत धनराशि भूमि एवं जल संरक्षण, वाटरशेड डेवलपमेंट एवं वृक्षारोपण कार्यों में लगाये जाने का प्राविधान है।

(ख). वृक्षारोपण कार्य को सम्पादित करने हेतु जनपद स्तर पर ग्राम्य विकास विभाग द्वारा संचालित परियोजनाओं यथा-मनरेगा से वित्त पोषण हेतु वृक्षारोपण के लिए परियोजनाएं जिलाधिकारियों/मुख्य विकास अधिकारियों को प्रेषित की जा सकती है।

(ग). बैठक कर यह समीक्षा कर लें कि अग्रिम मृदा कार्य एवं तत्पश्चात वृक्षारोपण व अनुरक्षण हेतु आवश्यक धनराशि उपलब्ध हो गयी है। अग्रिम मृदा कार्य कराने के लिए समुचित कार्यवाही करने का कष्ट करें जिससे वृक्षारोपण लक्ष्यों की प्राप्ति ससमय की जा सकें।

15- स्थल का चयन-यह आवश्यक है कि जनपदों के लिए अन्तिम रूप से निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्यवाही तत्काल प्रारम्भ कर दी जाय। प्रत्येक कार्यदायी विभाग द्वारा आवंटित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कार्ययोजना तैयार कर ली जाय। इसमें वृक्षारोपण स्थल का चयन, रोपित किये जाने वाले पौधों का स्थल तथा प्रजातिवार संख्या का अनुमान, पौधों की प्राप्ति के लिए स्रोत (पौधशाला) का चिन्हीकरण, वृक्षारोपण क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी कर्मचारी/व्यक्ति का नाम आदि विवरण तैयार कर लिया जाय।

16- वृक्षारोपण कार्य को माह जुलाई-2017 से किया जाना है। अतएव यह आवश्यक है कि वृक्षारोपण की सफलता हेतु समस्त तैयारी समय से पूर्ण कर ली जाय।

17- अनुश्रवण- जिला स्तरीय वृक्षारोपण समिति द्वारा वृक्षारोपण के रख-रखाव पर विशेष बल दिया जाय क्योंकि रोपण से अधिक महत्वपूर्ण रोपित पौधों की सुरक्षा कार्य है। वर्ष 2017-18 में वृक्षारोपण कार्य में सरकारी भूमि पर कराये जाने वाले वृक्षारोपणों के स्थलीय सत्यापन हेतु आवश्यक व्यवस्था निम्न प्रकार से की जाय:-

(क). वन विभाग के विभागीय वृक्षारोपणों का शत-प्रतिशत स्थलीय सत्यापन सम्बन्धित वन संरक्षकों द्वारा अन्तर्विभागीय जांच दलों से कराया जाय।

(ख). अन्य विभाग के विभागीय वृक्षारोपण के कार्यों का स्थलीय सत्यापन जिलाधिकारी जिला वृक्षारोपण समिति के माध्यम से अन्तर्विभागीय जांच समितियाँ गठित कर कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

(ग). सम्बन्धित विभागों द्वारा कराये जा रहे वृक्षारोपण के कुल लक्ष्य का 5 प्रतिशत सत्यापन विभागीय प्रमुख सचिव/सचिव द्वारा कराया जायेगा।


(घ). सम्बन्धित विभाग जिन्हे विभागीय वृक्षारोपण के लक्ष्य आवंटित किये गये है, स्थलवार रोपित पौधों की सूचना विकासखण्डवार जिला स्तरीय अधिकारी के कार्यालय में रखा जाना सुनिश्चित किया जायेगा ताकि सत्यापन हेतु अन्तर्विभागीय जांच टीमों को विवरण उपलब्ध हो सकें।

(च). सम्बन्धित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के विरुद्ध प्रगति की संकलित सूचना सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियो/प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी को उपलब्ध करायी जायेगी।

18- समस्त प्रभागीय वनाधिकारी विभागीय व अन्य विभागों की वृक्षारोपण की प्रगति वृक्षारोपण सत्र (माह जुलाई से सितम्बर) में प्रतिदिन वन विभाग की वेबसाइट के पी0एम0एस0 लिंक पर (Plantation management system) अपडेट कराना सुनिश्चित करें।

उक्त आदेशों का कृपया कडाईपूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।


संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(राहुल भटनागर),
मुख्य सचिव,

संख्या-1343 (1)/14-5-2017 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उ0प्र0, लखनऊ।
3. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक, उ0प्र0।
6. समस्त मण्डलायुक्त उत्तर प्रदेश।
7. समस्त परियोजना, निदेशक, अपर जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/जिला उद्यान अधिकारी, उ0प्र0।
9. गार्ड फाइल।


अज्ञा से
(संजीव सरन)
अपर मुख्य सचिव,

वर्ष 2017-18 (वर्षाकाल 2017) हेतु अनन्तिम विभागीय वृक्षारोपण के लक्ष्यों का
प्रभागवार/जनपदवार/मण्डलवार लक्ष्य

क्र० सं०	जनपद/प्रभाग	विभागीय प्रस्तावित लक्ष्य	
		लक्ष्य है० में	पौध संख्या में
1	2	3	4
1	आगरा	1039	1139000
2	फिरोजाबाद	1456	1937000
3	मैनपुरी	159	303000
4	मथुरा	244	342000
	आगरा मण्डल	2898	3721000
5	अलीगढ़	214	366000
6	एटा	53	70000
7	हाथरस	113	189000
8	कासगंज	34	30000
	अलीगढ़ मण्डल	414	655000
9	मेरठ	117	119000
10	गाजियाबाद	29	50000
11	हापुड़	86	66000
12	बुलन्दशहर	256	355000
13	गौतमबुद्धनगर	104	149000
14	बागपत	51	61000
	मेरठ मण्डल	643	800000
	सहारनपुर	8	6000
15	शिवालिक	202	203000
16	मुजफ्फरनगर	223	253000
17	शामली	82	154000
	सहारनपुर मण्डल	515	616000
18	बदायूँ	254	345000
19	बरेली	237	251000
20	शाहजहाँपुर	1215	1493000
21	पीलीभीत/पीलीभीत सा०वा०	22	17000
	बरेली मण्डल	1728	2106000

क्र० सं०	जनपद / प्रभाग	विभागीय प्रस्तावित लक्ष्य	
		लक्ष्य है० में	पौध संख्या में
1	2	3	4
	बिजनौर	60	37000
22	बिजनौर / नजीबाबाद	383	382000
23	मुरादाबाद	102	100000
24	सम्मल	60	74000
25	रामपुर	90	74000
26	अमरोहा	631	1003000
	मुरादाबाद मण्डल	1326	1670000
27	फतेहपुर	82	135000
28	प्रतापगढ़	220	354000
29	इलाहाबाद	1111	1156000
30	कौशाम्बी	138	130000
	इलाहाबाद मण्डल	1551	1775000
31	जौनपुर	242	266000
32	गाजीपुर	204	235000
33	वाराणसी	107	107000
34	चन्दौली / काशी वन्यजीव	1352	1474000
	वाराणसी मण्डल	1905	2082000
	मिर्जापुर	303	323000
35	कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मिर्जापुर	58	64000
	सोनभद्र / सोनभद्र	97	97000
	ओबरा	286	314000
36	रेनुकूट	278	305000
37	सन्तरविदासनगर (भदोही)	82	95000
	मिर्जापुर मण्डल	1104	1198000
38	गोरखपुर	297	294000
	महराजगंज / सोहगीबरवा वन्य जीव	310	317000
39	महराजगंज / गोरखपुर पार्ट	118	114000
40	देवरिया	138	138000

क्र० सं०	जनपद / प्रभाग	विभागीय प्रस्तावित लक्ष्य	
		लक्ष्य है० में	पौध संख्या में
1	2	3	4
41	पड़रौना कुशीनगर	370	387000
	गोरखपुर मण्डल	1233	1250000
42	सिद्धार्थनगर	164	200000
43	बस्ती	394	380000
44	संतकबीरनगर	306	300000
	बस्ती मण्डल	864	880000
45	मऊ	76	68000
46	आजमगढ़	228	256000
47	बलिया	314	336000
	आजमगढ़ मण्डल	618	660000
48	लखीमपुर / दक्षिणी खीरी	671	727000
	लखीमपुर / उत्तर खीरी	605	649000
49	सीतापुर	725	1292000
50	हरदोई	663	1171000
51	उन्नाव	621	1115000
52	लखनऊ	534	987000
53	रायबरेली	697	1204000
	लखनऊ मण्डल	4516	7145000
54	बाराबंकी	667	1078000
55	फैजाबाद	541	921000
56	सुल्तानपुर	569	1021000
57	अम्बेडकरनगर	609	1086000
58	अमेठी	883	1573000
	फैजाबाद मण्डल	3269	5679000
59	बहराइच	753	712000
60	गोण्डा	313	334000
61	श्रावस्ती	1001	1043000
62	बलरामपुर (गोण्डा व०प्र०)	223	228000
	बलरामपुर सोहेलवा व०जी०	200	210000

क० सं०	जनपद/प्रभाग	विभागीय प्रस्तावित लक्ष्य	
		लक्ष्य है० में	पौध संख्या में
1	2	3	4
	देवीपाटन मण्डल	2490	2527000
63	कानपुर नगर	422	637000
64	कानपुर देहात	373	541000
65	फरुखाबाद	277	426000
66	कन्नौज	122	226000
67	औरैया	159	269000
68	इटावा	241	306000
	कानपुर मण्डल	1594	2405000
69	जालौन/उरई	1487	1622000
70	झांसी	312	333000
71	ललितपुर	808	868000
	झांसी मण्डल	2607	2823000
72	हमीरपुर	1727	1886000
73	बांदा	252	192000
74	महोबा	1237	1348000
	चित्रकूट	1407	1493000
75	कैमूर वन्य जीव प्रभाग,	90	89000
	चित्रकूटधाम मण्डल	4713	5008000
	महायोग-उत्तर प्रदेश	33988	43000000

वर्ष 2017-18 हेतु अन्य विभागों के वृक्षारोपण लक्ष्य

क्र०सं	जनपद	आवास विभाग		औद्योगिक विकास विभाग		उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग		ग्राम्य विकास विभाग		नगर विकास विभाग		लोक निर्माण विभाग	
		हे० में	पौध संख्या में	हे० में	पौध संख्या में	हे० में	पौध संख्या में	हे० में	पौध संख्या में	हे० में	पौध संख्या में	हे० में	पौध संख्या में
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	आगरा	22	24100	13	14100	7	7430	74	81300	6	6190	6	6190
2	मथुरा	11	12000	0	0	7	7430	58	64200	7	7740	7	7740
3	फिरोजाबाद	0	0	5	5000	8	8570	58	64200	7	7740	7	7740
4	मैनपुरी	0	0	1	1200	8	8570	58	64200	7	7740	7	7740
	आगरा मण्डल	33	36100	18	20300	29	32000	249	273900	27	29410	27	29410
5	फतेहपुर	0	0	1	1200	8	8570	103	113500	7	7740	7	7740
6	प्रतापगढ़	0	0	0	0	8	8570	131	144500	7	7740	7	7740
7	इलाहाबाद	22	24100	15	16000	8	8570	131	144500	7	7740	7	7740
8	कोशाम्बी	0	0	8	8600	8	8570	45	49300	6	6190	6	6190
	इलाहाबाद मण्डल	22	24100	23	25800	31	34280	411	451800	27	29410	27	29410
9	बदायूं	0	0	1	1200	8	8570	103	113500	7	7740	7	7740
10	बरेली	22	24100	8	9000	8	8570	131	144500	7	7740	7	7740
11	पीलीभीत	0	0	4	4900	8	8570	74	81300	6	6190	6	6190
12	शाहजहाँपुर	0	0	1	1200	8	9280	125	137400	7	7740	7	7740
	बरेली मण्डल	22	24167	15	16300	32	34990	433	476700	27	29410	27	29410
13	बाराबंकी	0	0	1	1200	8	8570	132	145500	7	7740	7	7740
14	फैजाबाद	11	12000	15	16100	8	8570	88	97300	7	7740	7	7740
15	सुरानपुर	0	0	1	1200	8	8570	103	113500	7	7740	7	7740
16	अम्बेडकरनगर	0	0	1	1200	8	8570	103	113500	7	7740	7	7740
17	अमेठी	0	0	0	0	8	8570	74	81300	7	7740	7	7740
	फैजाबाद मण्डल	11	12000	18	19700	39	42850	501	551100	35	38700	35	38700
18	गोरखपुर	22	24100	1	1200	8	8570	147	161500	6	6190	6	6190
19	महाराजगंज	0	0	3	3700	8	8570	118	129500	6	6190	6	6190
20	देवरिया	0	0	1	1200	7	7430	132	145500	6	6190	6	6190

क्र०सं	जनपद	आवास विभाग		औद्योगिक विकास विभाग		उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग		ग्राम्य विकास विभाग		नगर विकास विभाग		लोक निर्माण विभाग	
		हे० में	पौघ संख्या में	हे० में	पौघ संख्या में	हे० में	पौघ संख्या में	हे० में	पौघ संख्या में	हे० में	पौघ संख्या में	हे० में	पौघ संख्या में
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	कृशीनगर	0	0	1	1200	7	7430	132	145500	6	6190	6	6190
	गोरखपुर मण्डल	22	24100	7	7300	29	32000	529	582000	23	24760	23	24760
22	जालौन/सरई	0	0	1	1200	7	7430	74	81500	6	6190	6	6190
23	झांसी	6	6500	4	4900	7	7430	52	57000	6	6190	6	6190
24	ललितपुर	0	0	0	0	7	7430	37	41200	6	6190	6	6190
	झांसी मण्डल	6	6500	6	6100	20	22290	163	179700	17	18570	17	18570
25	कानपुर नगर	55	60400	39	43300	7	7430	67	73500	6	6190	6	6190
26	कानपुर देहात	0	0	2	2400	7	7430	74	81500	6	6190	6	6190
27	फरुखाबाद	0	0	0	0	7	7430	59	65200	6	6190	6	6190
28	कन्नौज	0	0	0	0	7	7430	52	57000	6	6190	6	6190
29	इटवा	0	0	0	0	7	7430	52	57000	6	6190	6	6190
30	औरैया	0	0	0	0	7	7430	52	57000	6	6190	6	6190
	कानपुर मण्डल	55	60400	42	45700	41	44580	356	391200	34	37140	34	37140
31	खीरी	0	0	0	0	7	7430	132	145500	6	6190	6	6190
32	सीतापुर	0	0	4	4900	7	7407	147	161500	6	6190	6	6190
33	हरदोई	0	0	8	8600	7	7400	147	161500	6	6190	6	6190
34	उन्नाव	6	6500	8	8600	7	7430	116	127500	6	6190	6	6190
35	लखनऊ	82	90100	15	16000	7	7430	74	81500	6	6190	6	6190
36	रायबरेली	6	6533	4	4900	7	7430	103	113500	6	6190	6	6190
	लखनऊ मण्डल	94	103133	39	43000	40	44527	719	791000	34	37140	34	37140
37	मेरठ	55	60400	3	3700	7	7430	60	66500	6	6190	6	6190
38	गाजियाबाद	175	192000	2	2400	7	7430	30	33000	6	6190	6	6190
39	हापुड़	0	0	1	1200	7	7500	30	33000	6	6190	6	6190
40	बुलन्दशहर	6	6500	0	0	7	7500	118	129500	6	6190	6	6190
41	गौतमबुद्धनगर	0	0	466	512500	7	7500	30	33000	6	6190	6	6190

क्र०स०	जनपद	आवास विभाग		औद्योगिक विकास विभाग		उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग		ग्राम्य विकास विभाग		नगर विकास विभाग		लोक निर्माण विभाग	
		हे० में	पौध संख्या में	हे० में	पौध संख्या में	हे० में	पौध संख्या में	हे० में	पौध संख्या में	हे० में	पौध संख्या में	हे० में	पौध संख्या में
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42	बागपत	0	0	0	0	7	7400	30	33000	6	6190	6	6190
	मेरठ मण्डल	235	258900	473	519800	41	44760	297	327000	34	37140	34	37140
43	बिजनौर	0	0	0	0	7	7430	132	145500	6	6190	6	6190
44	मुरादाबाद	20	21800	3	3700	0	8000	74	81500	6	6190	6	6190
45	सम्मल	0	0	1	1200	0	8000	74	81500	6	6190	6	6190
46	रामपुर	0	0	8	8600	0	8000	59	65200	6	6190	6	6190
47	अमरोहा	0	0	4	4900	7	8000	74	81500	6	6190	6	6190
	मुरादाबाद मण्डल	20	21800	17	18400	36	39428	414	455200	28	30950	28	30950
48	जौनपुर	0	0	0	0	7	8000	147	161500	6	6190	6	6190
49	गाजीपुर	0	0	11	12300	7	8000	147	161500	6	6190	6	6190
50	वाराणसी	6	6600	1	1240	7	8000	103	113500	6	6190	6	6190
51	घन्दौली	0	0	0	0	7	8000	74	81500	6	6190	6	6190
	वाराणसी मण्डल	6	6600	12	13540	29	31999	471	518000	23	24760	23	24760
52	मऊ	0	0	3	3700	7	8000	74	81500	6	6190	6	6190
53	आजमगढ़	0	0	3	3700	7	8000	176	193500	6	6190	6	6190
54	बलिया	0	0	11	12300	7	8000	118	129500	6	6190	6	6190
	आजमगढ़ मण्डल	0	0	18	19700	22	23999	368	404500	17	18570	17	18570
55	सिद्धार्थनगर	0	0	0	0	7	8000	147	161500	6	6190	6	6190
56	बस्ती	0	0	0	0	7	8000	147	161500	6	6190	6	6190
57	संतकबीरनगर	0	0	0	0	7	8000	96	105500	6	6190	6	6190
	बस्ती मण्डल	0	0	0	0	22	23999	390	428500	17	18570	17	18570
58	मिर्जापुर	0	0	0	0	7	8000	110	120500	6	6190	6	6190
	सोनभद्र	0	0	11	12300	7	8000	80	88100	6	6190	6	6190
60	भदोही	0	0	0	0	7	8000	73	80300	6	6190	6	6190
	मिर्जापुर मण्डल	0	0	11	12300	22	23999	263	288900	17	18570	17	18570

क्र०सं	जनपद	आवास विभाग		औद्योगिक विकास विभाग		उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग		ग्राम्य विकास विभाग		नगर विकास विभाग		लोक निर्माण विभाग	
		हे० में	पौध संख्या में	हे० में	पौध संख्या में	हे० में	पौध संख्या में	हे० में	पौध संख्या में	हे० में	पौध संख्या में	हे० में	पौध संख्या में
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
61	सहारनपुर	6	6600	9	9900	7	8000	102	112500	6	6190	6	6190
62	मुजफ्फरनगर	6	6600	1	1240	7	8000	73	80500	6	6190	6	6190
63	शामली	0	0	1	1240	7	8000	44	48300	6	6190	6	6190
	सहारनपुर मण्डल	12	13200	11	12380	22	23999	219	241300	17	18570	17	18570
64	हमीरपुर	0	0	0	0	7	8000	419	460500	6	6190	6	6190
65	बांदा	0	0	0	0	7	8000	67	73300	6	6190	6	6190
66	महोबा	0	0	1	1240	7	8000	45	49200	6	6190	6	6190
67	चित्तकूट	0	0	0	0	7	8000	45	49200	6	6190	6	6190
	चित्तकूटधाम मण्डल	0	0	1	1240	29	31999	575	632200	23	24760	23	24760
68	बहराइच	0	0	9	9900	8	9300	131	144500	6	6190	6	6190
69	गोण्डा	0	0	4	4900	8	9300	146	160500	6	6190	6	6190
70	श्रावस्ती	0	0	0	0	8	9300	67	73500	6	6190	6	6190
71	बलरामपुर	0	0	0	0	8	9300	117	128500	6	6900	6	6900
	देवीपाटन मण्डल	0	0	13	14800	34	37200	461	507000	23	25470	23	25470
72	अलीगढ़	8	9000	0	0	7	7400	124	136400	9	9530	9	9520
73	एटा	0	0	1	1240	6	6500	77	85000	9	9520	9	9520
74	हाथरस	0	0	0	0	8	8700	66	72500	9	9520	9	9530
75	कासगंज	0	0	2	2400	8	8500	58	64100	9	9530	9	9530
	अलीगढ़ मण्डल	8	9000	3	3640	28	31100	325	358000	35	38100	35	38100
	महायोग-उत्तर प्रदेश	545	600000	727	800000	545	600000	7144	7856000	455	500000	455	500000

क्र०स०	जनपद	सिंचाई विभाग		रेशम विकास विभाग		माध्यमिक शिक्षा		बेसिक शिक्षा		कृषि विभाग			कुल योग	
		हे० में	पौध संख्या में	हे० में	पौध संख्या में	हे० में	पौध संख्या में	हे० में	पौध संख्या में	हे० में	पौध संख्या में	हे० में	पौध संख्या में	हे० में
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	26
1	आगरा	8	9200	5	5000	18	19530	104	114200	0		261	287240	
2	मथुरा	8	9200	5	5000	13	14240	121	133000	0		237	260550	
3	फिरोजाबाद	8	9200	5	5000	12	13270	68	75200	0		178	195920	
4	मैनपुरी	8	9200	5	5000	13	13890	120	132300	0		227	249840	
	आगरा मण्डल	33	36800	18	20000	55	60930	413	454700	0	0	903	993550	
5	फतेहपुर	8	9200	20	22200	8	8800	126	138900	54	59400	343	377250	
6	प्रतापगढ़	8	9200	0	0	17	18910	132	145000	24	26700	335	368360	
7	इलाहाबाद	8	9200	0	0	28	30470	191	210000	164	179900	580	638220	
8	कौशांबी	8	9200	0	0	10	10850	62	68000	39	43100	191	210000	
	इलाहाबाद मण्डल	33	36800	20	22200	63	69030	511	561900	281	309100	1449	1593830	
9	बदायूं	8	9200	5	5000	6	6680	104	113900	43	47500	292	321030	
10	बरेली	8	9200	5	5000	9	10410	162	178200	0		368	404460	
11	पीलीभीत	8	9200	9	9900	4	3900	83	91800	0		202	221950	
12	शाहजहाँपुर	8	9200	5	5000	9	10100	101	111400	8	8900	280	307960	
	बरेली मण्डल	33	36800	23	24900	28	31090	450	495300	51	56400	1141	1255467	
13	बाराबंकी	8	9200	1	1240	7	7360	96	105400	0		267	293950	
14	फैजाबाद	8	9200	0	0	10	10790	111	121900	0		265	291340	
15	सुल्तानपुर	8	9200	1	1240	6	6470	71	78100	0		213	233760	
16	अम्बेडकरनगर	8	9200	0	0	9	10290	99	108500	0		242	266740	
17	अमेठी	8	9200	0	0	6	6530	80	88000	0		190	209080	
	फैजाबाद मण्डल	42	46000	2	2480	38	41440	456	501900	0	0	1177	1294870	
18	गोरखपुर	10	11200	9	9850	10	10960	145	159500	0		363	399260	
19	महाराजगंज	10	11200	4	4900	5	5470	93	102600	0		253	278320	
20	देवरिया	10	11200	0	0	11	11880	115	126800	0		288	316390	

क्र०सं	जनपद	सिंचाई विभाग		रेशम विकास विभाग		माध्यमिक शिक्षा		बेसिक शिक्षा		कृषि विभाग		कुल योग	
		हे० में	पौध संख्या में	हे० में	पौध संख्या में	हे० में	पौध संख्या में	हे० में	पौध संख्या में	हे० में	पौध संख्या में	हे० में	पौध संख्या में
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
42	बागपत	10	11200	0	0	4	3990	40	44500	0	0	102	112470
	मेरठ मण्डल	61	67200	17	18560	37	41190	418	459300	70	77500	1717	1888490
43	बिजनौर	10	11200	11	12528	9	10140	161	177000	26	28200	368	404378
44	मुरादाबाद	10	11200	6	6100	10	11170	89	97500	0	0	223	253350
45	सम्मल	10	11200	0	0	5	5410	52	56900	51	56500	205	233090
46	रामपुर	10	11200	6	6100	8	8900	104	114300	0	0	206	234680
47	अमरोहा	10	11200	6	6200	8	8480	102	111900	55	61000	278	305560
	मुरादाबाद मण्डल	51	56000	28	30928	40	44100	507	557600	132	145700	1301	1431056
48	जौनपुर	10	11200	6	6100	17	18680	170	186500	0	0	368	404360
49	गाजीपुर	10	11200	6	6200	26	29110	140	154500	127	139700	486	534890
50	वाराणसी	10	11200	6	6100	11	12090	100	109700	55	61000	311	341810
51	चन्दौली	10	11200	6	6200	6	6380	65	71500	63	69800	243	266960
	वाराणसी मण्डल	41	44800	23	24752	60	66260	475	522200	246	270500	1407	1548171
52	मऊ	10	11200	6	6200	12	13100	67	73400	0	0	190	209480
53	आजमगढ़	10	11200	6	6200	15	16670	166	182200	0	0	394	433850
54	बलिया	10	11200	6	6200	14	15610	106	117000	55	60900	339	373090
	आजमगढ़ मण्डल	31	33600	17	18564	41	45380	339	372600	55	60900	924	1016383
55	सिद्धार्थनगर	10	11200	6	6200	5	4970	96	105200	0	0	281	309450
56	बस्ती	10	11200	11	12400	8	9340	76	83300	0	0	271	298120
57	संतकबीरनगर	10	11200	0	0	5	6000	48	53000	0	0	178	196080
	बस्ती मण्डल	31	33600	17	18564	18	20310	220	241500	0	0	731	803613
58	मिर्जापुर	10	11200	11	12400	10	11230	100	109500	153	168000	412	453210
	सोनभद्र	10	11200	11	12400	4	4940	98	108000	0	0	234	257320
60	भदोही	10	11200	1	1240	4	4880	59	64500	49	53500	215	236000
	मिर्जापुर मण्डल	31	33600	24	25990	19	21050	256	282000	201	221500	860	946479

क्र०सं	जनपद	सिंचाई विभाग		रेशम विकास विभाग		माध्यमिक शिक्षा		बैसिक शिक्षा		कृषि विभाग		कुल योग	
		हे० में	पौध संख्या में	हे० में	पौध संख्या में	हे० में	पौध संख्या में	हे० में	पौध संख्या में	हे० में	पौध संख्या में	हे० में	पौध संख्या में
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
61	सहारनपुर	10	11200	11	12400	8	8790	61	67500	0		227	249270
62	मुजफ्फरनगर	10	11200	0	0	8	8450	123	135300	19	20800	259	284470
63	शामली	10	11200	6	6200	3	2780	48	53300	0		130	143400
	सहारनपुर मण्डल	31	33600	17	18564	18	20020	233	256100	19	20800	616	677103
64	हमीरपुर	10	11200	1	1230	5	5000	63	69300	0		516	567610
65	बांदा	10	11200	6	6200	4	4670	82	89800	0		187	205550
66	महोबा	10	11200	6	6200	3	3190	47	51300	0		130	142710
67	घिन्नकूट	10	11200	9	9800	2	2420	40	43800	0		124	136800
	घिन्नकूटधाम मण्डल	41	44800	21	23514	14	15280	231	254200	0	0	957	1052754
68	बहराइच	10	10500	11	12400	6	6860	129	142300	0		316	348140
69	गोण्डा	10	10500	12	13140	12	13500	128	140800	0		332	365020
70	श्रावस्ती	10	10500	12	13140	3	3100	49	53500	0		159	175420
71	बलरामपुर	10	10500	11	12160	3	3500	70	77500	0		232	255260
	देवीपाटन मण्डल	38	42000	46	50840	25	26960	376	414100	0	0	1040	1143840
72	अलीगढ़	9	10400	0	0	18	19500	112	123000	16	17900	312	342650
73	एटा	9	10400	0	0	14	14900	101	110700	0		225	247780
74	हाथरस	9	10400	0	0	9	9400	59	65000	0		168	185050
75	कासगंज	9	10400	0	0	8	8499	72	78900	51	56500	226	248359
	अलीगढ़ मण्डल	38	41600	0	0	48	52299	343	377600	68	74400	931	1023839
	महायोग-उत्तर प्रदेश	727	800000	364	400000	682	750000	7409	8150000	1364	1500000	20416	22458000

परिशिष्ट-3

विभागीय वृक्षारोपण कार्यक्रम में वृक्षारोपण का विवरण

प्रदेश के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के लिए उपयुक्त रोपित की जाने वाली प्रजातियों का विवरण

भूमि के प्रकार के अनुसार विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के अनुसार उपयुक्त रोपित की जाने वाली प्रजातियों का विवरण निम्न प्रकार है:-

1- तराई- भाबर जोन

(क) ईंधन प्रजातियाँ

बबूल, यूकेलिप्टस, सुबबूल, काला सिरस

(ख) चारा-पत्ती प्रजातियाँ

अर्जुन, अरू, असना, बबूल, बहेड़ा, बकैन, कटहल, लसोड़ा, पूला, सुबबूल, शहतूत

(ग) इमारती प्रकाष्ठ प्रजातियाँ

शीशम, जामुन, पॉपलर, सागौन, गम्हार

(घ) फलदार प्रजातियाँ

आम, आँवला, बहेड़ा, बेल, बेर जामुन, कटहल, लसोड़ा

(ड0) शोभाकार प्रजातियाँ

केसिया सियामिया, सेमल, अमलतास, कचनार, गुलमोहर, छितवन, कदम्ब

(च) पर्यावरणीय प्रजातियाँ

पीपल, बरगद, पाकड़, गूलर

2- तराई जोन

(क) ईंधन प्रजातियाँ

बबूल, ढाक, सुबबूल, सिद्धा, विलायती बबूल, जामुन, काला सिरस

(ख) चारा-पत्ती प्रजातियाँ

अरू बबूल, बकैन, बेर, कचनार, पूला, सुबबूल, सहजन, नीम, सैलिक्स

(ग) इमारती प्रकाष्ठ प्रजातियाँ

असना/सेन, बबूल, बांस, सागौन, शीशम, नीम, जामुन

(घ) फलदार प्रजातियाँ

आँवला, बेल, इमली, कटहल, लसोड़ा, महुआ, सहजन

(ड) शोभाकार प्रजातियाँ

अमलतास, केसिया सियामिया, सेमल, कचनार, गुलमोहर, जकरेन्डा, कदम्ब, सीता अशोक, पेल्टोफोरम, अशोक, मौलश्री

3- गांगेय क्षेत्र (पश्चिमी)

(क) ईंधन प्रजातियाँ

बबूल, ढाक, इमली, फराश, कंजी, सुबबूल, विलायती बबूल, काला सिरस

(ख) चारा-पत्ती प्रजातियाँ

अरू, बबूल, बेर, कचनार, लसोड़ा, नीम, काला सिरस, सुबबूल

(ग) इमारती प्रकाष्ठ प्रजातियाँ

शीशम, सागौन, बबूल, कंजू, नीम, आम

(घ) फलदार प्रजातियाँ

आम, इमली, बेल, आँवला, महुआ, कचनार, सहजन, कैथा, लसोड़ा

(ङ0) शोभाकार प्रजातियाँ

कनकचम्पा, अमलतास, कैशिया, सियामिया, अशोक, गुलमोहर, कचनार, नीम, चमेली, सेमल, जकरन्डा, कदम्ब

4- गांगेय क्षेत्र (पूर्वी)

(क) ईंधन प्रजातियाँ

अर्जुन, बबूल, इमली, कंजी, सुबबूल, विलायती बबूल, ढाक

(ख) चारा-पत्ती प्रजातियाँ

अरू, बेल, बेर, धौरा, कचनार, काला सिरस, सफेद सिरस, नीम, लसोड़ा, सुबबूल

(ग) इमारती प्रकाष्ठ प्रजातियाँ

शीशम, सागौन, आम, महुआ, काला सिरस, कंजू, कठ सागौन

(घ) फलदार प्रजातियाँ

आम, आँवला, बेल, बेर, कटहल, इमली, कचनार, महुआ, सेंजन और जामुन

(ङ0) शोभाकार प्रजातियाँ

वह सभी प्रजातियाँ जो गांगेय क्षेत्र पश्चिमी में दी गई हैं।

5- विन्ध्य जोन

(क) ईंधन प्रजातियाँ

बबूल, करधई, कन्जी, विलायती बबूल, सुबबूल, अंजन, बेर और कंकोर

(ख) चारा-पत्ती प्रजातियाँ

बबूल, बेल, कचनार, काला सिरस, सहजन

(ग) इमारती प्रकाष्ठ प्रजातियाँ

शीशम, काला सिरस, सागौन, महुआ

(घ) फलदार प्रजातियाँ

बेल, चिरौंजी, खिन्नी, महुआ, आँवला, शरीफा

(ङ0) शोभाकार प्रजातियाँ

अमलतास

6- उसरीले क्षेत्र-

(क) पी0एच0-9 से नीचे

काला सिरस, नीम, महुआ, आकाश मोनी, विलायती बबूल, अर्जुन, ढाक,

(ख) पी0एच0-9 से ऊपर

विलायती बबूल, अर्जुन और ढाक ही हो सकते हैं- वह भी तब जब पानी देने की व्यवस्था हो और मृदा को ठीक करने वाले पदार्थ जैसे जिप्सम या पाइराइट दिया गया हो।